COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED
COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

189

-1-

समक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश/मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी

मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग० 440/II/10 पुनरीक्षण कमांक /2010

आवेदक राकेश बड़ेरिया आत्मज स्व. श्री रमेशचंद्र बड़ेरिया पेशा–व्यापार, निवासी–402, कोतवाली वार्ड जबलपुर

श्री .... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ....
08 APR 2010
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

अनावेदकगण

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक जबलपुर और/या द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला जबलपुर 500 मढ़ाताल महाराष्ट्र व्यायाम शाला, जबलपुर
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
4. महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश, भोपाल
5. संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश मुख्यालय भोपाल
6. सुबोध साहू आत्मज श्री बद्री प्रसाद साहू पेशा–व्यापार निवासी–45, गोविंद वल्लभ पंत वार्ड जबलपुर
7. उमाशंकर रैकवार आत्मज स्व. श्री परसराम रैकवार पेशा–व्यापार, निवासी–200 गोविंद वल्लभ पंत वार्ड, जबलपुर

78

आज दिनांक 8-5-10 को ...... जारी
8-5-10

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 56 (4) भारतीय मुद्रांक अधिनियम

कलेक्टर आफ स्टाम्प्स जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 49–बी–103/2007–08 अंतर्गत धारा 48 (ख) भारतीय मुद्रांक अधिनियम, मध्य प्रदेश शासन विरूद्ध सुबोध साहू एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10/12/09 से व्यथित होकर आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :–

तथ्य

1. यह कि आवेदक राकेश बड़ेरिया व अनावेदक कमांक 6 व 7 सुबोध साहू एवं उमाशंकर रैकवार मौजा माढ़ोताल नं.बं. 660, प.ह.नं. 25/31

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 440–दौ/2010 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –09–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता बी.एन. त्यागी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टांप जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 49–बी–103/07–08 अंतर्गत धारा 48 (ख) भारतीय मुद्रांक अधिनियम म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 10.12.09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक व अनावेदक क्र. 6 सुवोध साहू व क्र. 7 उमाशंकर रैकवार मौजा माड़ोताल तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि ख.नं. 9/2, 12/2, 12/1, रकवा क्रमश' 0.769 है0, 0.849 है., एवं 1.348 है0 कुल रकवा 2.966 है0 के शामिल शरीक मालिक काविज व भूमिस्वामी है। तीनों सह भूमिस्वामियों द्वारा मिलकर अपनी उक्त भूमि पर कॉलोनी का विकास कार्य प्रांरभ किया गया । आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया कि आवेदक व अनावेदक क्र. 6 व 7 तीनों सह भूमिस्वामी उक्त भूमि पर कराये जा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रहे विकास कार्यों से संबंधित कार्यवाहियों के लिये शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों में एक साथ उपस्थित होने में असमर्थ थे इस कारण अनावेदक क्र 6 व 7 सुवोध साहू एवं उमाशंकर रैकवार ने दिनांक 05.062006 को आवेदक के पक्ष में एक मुख्त्यारनामा आम निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर में दिनांक 05.06.2006 को पुस्तक क्रमांक ए–4 ग्रंथ क्रमांक 544 के पृष्ठ क्रमांक 174–175 पर दस्तावेज क्रमांक 166 (ग) देकर पंजीकृत कराया जिसमें आवेदक को उक्त भूमि पर मात्र विकास कार्य कराने हेतु अधिकृत किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन मुख्त्यारनामा आम में निष्पादकों द्वारा मुख्त्यारआम को स्थावर संपत्ति विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रांत करने हेतु कोई अधिकार नहीं दिया गया हैं। यह भी तर्क दिया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टॉप द्वारा ऑडिट दल के आक्षेप के आधार पर आवेदक के साथ मुख्त्यारनामा आम के निष्पादकों अनावेदक क्र. 6 व 7 के विरूद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। लेकिन सुनवाई हेतु किसी को कोई सूचना नहीं दी न ही सुनवाई का अवसर दिया गाय जबकि तीनों को सुनवाई का अवसर मिलने का संवैधानिक अधिकार था। यह भी तर्क दिया गया कि दस्तावेज की व्याख्या के संबंध में न्याय का यह स्पष्ट व सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे दस्तोवज के लिखतम को उसी तरह से पढ़कर व समझकर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 440–दौ/2010 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अर्थ लगाया जावे जैसा कि उसकी लिखतम है न कि अपनी ओर से उसका ऐसा अर्थ लगाया जावेगा जिससे कि दस्तावेज की मूल प्रकृति ही बदल जावे। प्रश्नाधीन मुख्त्यारनामा आम की कंडिका 4 को न्याय के प्रतिपादित सिद्धांत के विरूद्ध जाकर इस रूप में पढ़कर अर्थ लगाया गया है जिस हेतु दस्तावेज का निष्पादन ही नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई अधिकार ही दिया गया है। दस्तावेज से यह भी स्पष्ट है कि यह बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित किया गया है। अतः भातरीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 45(घ)(दो) के प्रावधान प्रभावित ही नहीं होते हैं। यह भी तर्क दिया गया कि मुख्त्यारनामा आम में निष्पादकों द्वारा मुख्त्यारआम को भूमि पर मात्र विकास कार्य कराने के अधिकार दिये गये हैं तब उस पर कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा हस्तांतरण पत्र क्रमांक (22) के अनुसार गाइड लाइन वर्ष 2006–07 के आधार पर उल्लेखित भूमि का दो तिहाई भाग पर मुद्रांक शुल्क प्रभारणीय ठहराते हुय पारित आदेश दिनांक 10.12.2009 निरस्त किया किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा यह निश्कर्ष निकालने की गंभीर भूल की गई है कि मुख्त्यारनामा आम की कंडिका 5 के अनुसार वह अनिश्चितकालीन अवधि का होकर अनिरस्तनीय है जबकि कंडिका 5 में ही यह स्पष्ट उल्लेख ह कि यह मुख्त्यारनामा आम उक्त भूमि पर विकसित की जा रही कालोनी संबंधी सम्पूर्ण कार्य एवं कार्यवाहियां पूर्ण होने तक ही प्रभावशील रहेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दस्तोवज कॉलोनी के सिर्फ सम्पूर्ण विकास कार्य कराने हेतु ही निष्पादित किया गया है निष्पादकों द्वारा मुख्त्यारआम को उसमें दर्शायी भूमि के संबंध में दान विनिमय, विक्रय या स्थायी रूप से अन्य संक्रांत करने के कोई अधिकार ही नहीं दिये गये तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में यह त्रुटिपूर्ण निश्कर्ष निकालने की भूल की गई है कि मुख्त्यारनामा आम में दान, विनिमय, विक्रय व स्थायी रूप से अन्य संक्रांत करने के हर प्रकार के अधिकार आ जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व इस संबंध में उप पंजीयक जबलपुर व मुख्त्यारनामा आम के निष्पादकों को आहूत कर उनकी स्पष्ट साक्ष्य	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 440–दौ/2010 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अंकित करना वैधानिक रूप से नितांत आवश्यक था कि मुख्त्यारआम द्वारा प्रश्नाधीन मुख्त्यारनामा आम में दर्शाये दस्तावेजों से भिन्न किसी अन्य दस्तावेज का निष्पादन कर पंजीयन कराया गया है या नहीं वास्तविक तथ्यों की प्रमाणिकता हेतु न तो आडिट दल द्वारा आक्षेप के पूर्व न कलेक्टर ऑफ स्टॉफ द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व स्थल का निरीक्षण किया गया है न ही उप पंजीयक जबलपुर से कराया गया है। अतः बगैर स्थल निरीक्षण के कलेक्टर ऑफ स्टांप द्वारा निष्पादित दस्तावेज के संबंध में निकाले गये निश्कर्ष एवं पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर ऑफ स्टांप जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2009 निरस्त किया जाता है। सदस्य	